न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर

श्री बापु पिता लाखा डामोर बनाम श्री हिरा पिता वालजी वगैरा

पत्रावली संख्या– 06/25

किस्म मुकदमा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
01.10.2025	दिनांक 01.10.2025 को पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में उभय पक्ष ने लिखित बहस पेश की । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमारे कब्जे काश्त की भूमि है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण कर रहे है। उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि पर वादी का 25 वर्षों से कब्जा है एवं लगातार भूमि पर खेती करता आ रहा है। प्रतिवादीगण ने जबरन निर्माण कार्य कर लिया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि पर हम प्रतिवादीगण का लगभग 40 वर्षों से कब्जा बना हुआ है। उक्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण के 3 मकान बने हुए है जो जवाब में लोकेशन सहित फोटो पेश किये गये है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि को कभी भी जोता नहीं गया है। एवं मकान के अलावा शेष भूमि पर हम प्रतिवादीगण के पारिवारिक बंटवारा अनुसार कृषि कार्य करते आ रहे है। और उक्त विवादित भूमि मे हम प्रतिवादीगण सरकार की योजना अनुसार हिरा/वालजी के नाम हैण्डपम्प भी करा रखा है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि पर विगत कई वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काबिज कर बैठे हुए है। अतः प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलित की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा शिशोट में खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 1084/371 खेत किता 1 कुल रकबा 0.5663 है0 भूमि में दोनों पक्ष मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चिखली	